



भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई /2014-15/13

मास्टर परिपत्र सं.1/2014-15

01 जुलाई 2014

(21 जुलाई 2014 तक अद्यतन)

सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट हैं

महोदया/महोदय,

मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)

धन अंतरण सेवा योजना विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषणों के अंतरण का एक शीघ्र और आसान तरीका है। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत विप्रेषण जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषण की अनुमति है। धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारत से बाहर विप्रेषण की अनुमति नहीं है।

2. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।

3. सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक होने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक संबंधित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग-ए

खंड I

धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंटों को अनुमति (प्राधिकार) देने के लिए दिशा-निर्देश

खंड II

विदेशी प्रधान अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश

खंड III

भारतीय एजेंटों द्वारा उप-एजेंटों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश

खंड IV

मौजूदा भारतीय एजेंटों की अनुमति (प्राधिकार) के नवीकरण के लिए दिशा-निर्देश

खंड V

भारतीय एजेंटों का निरीक्षण

खंड VI

भारतीय एजेंटों के लिए अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी दिशा-निर्देश

खंड VII

सामान्य अनुदेश

भाग-बी

रिपोर्ट/विवरण

संलग्नक-I: भारतीय एजेंटों के लिए अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी दिशा-निर्देश

संलग्नक-II: धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंटों के उप एजेंटों के लिए फार्मेट

संलग्नक-III:-----को समाप्त तिमाही के दौरान धन अंतरण सेवा योजना के जरिये प्राप्त विप्रेषणों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

संलग्नक-IV: भारतीय एजेंटों द्वारा रखे गये संपार्श्विक का विवरण

परिशिष्ट

भाग-ए

खंड I

धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंटों को अनुमति (प्राधिकार) देने के लिए दिशा-निर्देश

1. परिचय

1.1 धन अंतरण सेवा योजना विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषणों के अंतरण का एक शीघ्र और आसान तरीका है। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत विप्रेषण जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करनेवाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषण अनुमत हैं। धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारत से बाहर विप्रेषण की अनुमति नहीं है। यह प्रणाली विदेशी प्रधान अधिकारी के रूप में ज्ञात विदेश में प्रख्यात धन अंतरण कंपनियों तथा भारतीय एजेंटों के रूप में ज्ञात भारतीय एजेंटों के बीच एक गठ-जोड़ है जो भारत में लाभार्थियों को चालू विनिमय दरों पर निधियों का वितरण करेंगे। भारतीय एजेंट को विदेशी प्रधान अधिकारी को कोई राशि विप्रेषित करने की अनुमति नहीं है। धन अंतरण सेवा योजना के तहत विप्रेषक और लाभार्थी केवल व्यक्ति ही हैं।

सांविधिक आधार

1.2 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10 (1) के तहत प्रदान की गयी शक्तियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को आवश्यक अनुमति (प्राधिकार) प्रदान कर सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति किसी भी क्षमता में भारत में सीमापार से धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकता है।

1.3 ये दिशानिर्देश भारतीय एजेंटों को अनुमति (प्राधिकार) प्रदान करने तथा उन्हें दिए गए मौजूदा धन अंतरण सेवा योजना अनुमोदनों के नवीकरण के लिए मूल शर्तें निर्धारित करते हैं। इन दिशानिर्देशों में विदेशी प्रधान अधिकारियों और भारतीय एजेंटों द्वारा उप-एजेंटों की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का भी समावेश है। ये दिशानिर्देश सर्वसमावेशी नहीं हैं और किसी संस्था (कंपनी) (एंटीटी) को अनुमति देते समय निर्णय करने में अन्य संगत जानकारी, सुरक्षात्मक पहलुओं (security considerations), आदि पर विचार किया जाएगा। ये दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक के पास नयी व्यवस्थाओं, भारतीय एजेंटों, आदि को दिए गए अनुमोदनों के नवीकरण संबंधी सभी लंबित आवेदनपत्रों पर भी लागू होंगे। पात्रता मानदंड पूरे न करने वाले मौजूदा भारतीय एजेंटों को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से चरणबद्ध तरीके से मानदंड पूरे करने होंगे अथवा धन अंतरण का कारोबार तत्काल समाप्त करना होगा।

2. दिशा-निर्देश

प्रवेश मानदंड

- (i) भारतीय एजेंट बनने के लिए आवेदक 6 मार्च 2006 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.25 (ए.पी. (एफएल सीरीज़) परिपत्र सं. 02) में यथा परिभाषित कोई प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक अथवा कोई प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -II अथवा कोई संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा डाक विभाग होना चाहिए।
- (ii) आवेदक के पास न्यूनतम रु. 50 लाख की निवल स्वाधिकृत निधियाँ होनी चाहिए।

टिप्पणी: (i) स्वाधिकृत निधियाँ: (प्रदत्त ईक्विटी पूंजी + मुक्त आरक्षित निधियाँ + लाभ-हानि खाते में जमा का इति शेष) से घटायें (हानि का संचित शेष, आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अगोचर परिसंपत्तियाँ)

(ii) निवल स्वाधिकृत निधियाँ: (आवेदक की) स्वाधिकृत निधियों से उसकी सहायक कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों, सभी (अन्य) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की राशि, इसके साथ ही स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक उसकी सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों के डिबेंचरों, बाँडों के बही मूल्य, दिए गए बकाया ऋणों तथा अग्रिमों और जमा की गयी राशियों को घटाएं।

3. रिज़र्व बैंक को आवेदन करने के लिए प्रक्रिया

भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अनुमति हेतु आवेदन पत्र रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक का पंजीकृत कार्यालय आता हो¹ तथा नीचे खंड-II में दिए गए ब्योरों के अनुसार आवेदक के प्रस्तावित विदेशी प्रधान अधिकारी से संबंधित दस्तावेज तथा निम्नलिखित दस्तावेज उसके साथ अनुलग्न किए जाएं:

ए. इस आशय का एक घोषणा पत्र कि आवेदक अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है/अनिर्णित नहीं हैं और आवेदक अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नहीं है/लंबित नहीं है।

बी. इस आशय का एक घोषणा पत्र कि रिज़र्व बैंक से अनुमति (प्राधिकार) प्राप्त करने पर तथा धन अंतरण परिचालन प्रारंभ करने से पहले, समय-समय पर यथा संशोधित, 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 18 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज़) परिपत्र सं. 05] के जरिये जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में नीतिगत ढांचा तैयार कर लागू किया जाएगा।

¹ [18 जुलाई 2014 का ए.पी.\(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं. 8](#)

सी. जिसके साथ धन अंतरण सेवा योजना को कार्यान्वित किया जाना है उस विदेशी प्रधान अधिकारी का नाम और पता।

डी. विदेशी प्रधान अधिकारी द्वारा योजना के परिचालन के पूरे ब्योरे।

ई. भारत में उन शाखाओं की सूची तथा पते जिन पर आवेदक द्वारा धन अंतरण सेवा प्रदान की जाएगी।

एफ. इस योजना के तहत प्रति माह/वर्ष कारोबार की अनुमानित मात्रा।

जी. आवेदक के पिछले दो वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, यदि उपलब्ध हों, अथवा अद्यतन लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति के साथ आवेदन की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधि की स्थिति संबंधी सांविधिक लेखा परीक्षक/कों का प्रमाणपत्र।

एच. आवेदक की संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (मेमोरेंडम ऐंड अर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) जहाँ या तो धन अंतरण कारोबार करने के लिए कोई प्रावधान हो अथवा तत्संबंधी यथोचित संशोधन कंपनी लॉ बोर्ड के पास फाइल किया गया है।

आई. आवेदक के कम से कम दो बैंकों से मुहरबंद लिफाफे में गोपनीय रिपोर्टें।

जे. वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत आवेदक की सहयोगी/संबद्ध संस्था के ब्योरे।

के. आवेदक द्वारा धन अंतरण कारोबार करने के लिए उसके बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।

एल. प्रस्तावित विदेशी प्रधान अधिकारी से आवेदक के साथ गठ-जोड़ व्यवस्था करने तथा आवश्यक संपार्श्विक भी प्रस्तुत करने के लिए सहमति दर्शाने वाला पत्र।

4. संपार्श्विक आवश्यकता

विदेशी प्रधान अधिकारी द्वारा भारत में किसी नामित बैंक में भारतीय एजेंट के पक्ष में 3 दिन के औसत आहरणों के समतुल्य अथवा 50,000 अमरीकी डॉलर, जो भी उच्चतर हो, संपार्श्विक के रूप में रखे जाएं। 50,000 अमरीकी डॉलर की न्यूनतम राशि विदेशी मुद्रा जमा के रूप में रखी जाएगी जबकि शेष राशि बैंक गारंटी के रूप में रखी जा सकती है। भारतीय एजेंटों द्वारा संपार्श्विक की पर्याप्तता की पुनरीक्षा, पिछले तीन महीनों के दौरान प्राप्त विप्रेषणों के आधार पर, तिमाही अंतरालों पर की जाएगी।

5. अन्य शर्तें

ए) इस व्यवस्था के तहत केवल सीमा-पार से व्यक्तिगत विप्रेषणों, जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषणों तथा भारत का दौरा / भ्रमण करनेवाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषणों की ही अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था के जरिये धर्मार्थ संस्थाओं/ट्रस्टों को दान/अंशदान, व्यापार संबद्ध विप्रेषण, संपत्ति की खरीद के लिए विप्रेषण, अनिवासी विदेशी खाते में निवेश अथवा जमा नहीं किया जाएगा।

बी) इस योजना के तहत व्यक्तिगत विप्रेषण के लिए 2500 अमरीकी डॉलर की सीमा रखी गयी है। भारत में लाभार्थी को रू. 50,000/- तक की राशि का नकद में भुगतान किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक राशि का भुगतान आदाता खाता चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश, आदि के जरिये अथवा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही जमा करते हुए किया जाएगा। तथापि, अपवादात्मक स्थितियों में जहाँ लाभार्थी विदेशी पर्यटक है, वहाँ इससे

अधिक राशि नकद वितरित की/दी जा सकती है। इस प्रकार के लेनदेनों का पूरा ब्योरा लेखा-परीक्षकों / निरीक्षकों द्वारा छान-बीन के लिए अभिलेख में रखा जाएगा।

सी) इस योजना के तहत, एकल व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा किसी एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान केवल 30 विप्रेषण प्राप्त किये जा सकते हैं।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णयों के लिए मानदंड

(i) भारतीय एजेंटों में उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लाभप्रद ढंग से कार्य करने की शक्ति तथा सक्षमता होने की आवश्यकता है। चूँकि पहले से ही अनेक भारतीय एजेंट कार्यरत हैं, अतः अनुमति (प्राधिकार) ऐसे भारतीय एजेंटों को चयनित आधार पर जारी की जाएगी, जो उल्लिखित आवश्यकताएं पूरी करते हों, जिनके पास आवश्यक व्यापक पहुँच (outreach) हो तथा जो ग्राहक सेवा और दक्षता पूर्ण सेवा के अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू सर्वोच्च मानकों के अनुरूप कार्य कर सकते हों।

(ii) भारतीय एजेंट को अनुमति (प्राधिकार) जारी होने की तारीख से **छः महीनों** की अवधि के भीतर योजना के तहत अपने धन अंतरण परिचालन प्रारंभ करने चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

खंड II

विदेशी प्रधान अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश

विदेशी धन अंतरण परिचालकों, जिन्हें विदेशी प्रधान अधिकारी कहा जाता है, के साथ व्यवस्था करनेवाले भारतीय एजेंट इसे नोट करें कि पर्याप्त मात्रा में कारोबार करने वाले, ट्रैक रिकार्ड तथा व्यापक पहुँच वाले विदेशी प्रधान अधिकारियों पर ही इस योजना के तहत विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धन अंतरण व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश में नागरिकों को सस्ती एवं प्रभावी धन अंतरण की सुविधा प्रदान करना है, इसलिए ऐसे विप्रेषण परिचालकों, जिनकी देश में पहुँच एवं शाखा विस्तार सीमित है और विदेश में करोबार स्थानीय है, के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है।

आवेदक भारतीय एजेंटों को उनके विदेशी प्रधान अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए / निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए:

ए. विदेशी प्रधान अधिकारियों को भुगतान प्रणाली संबंधी कार्य प्रारंभ करने/परिचालन करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने चाहिए। इस प्रकार का प्राधिकार प्रदान करने से पहले, रिज़र्व बैंक भारत सरकार की सहायता से विदेशी प्रधान अधिकारी की पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगा।

बी. विदेशी प्रधान अधिकारी धन अंतरण कार्यकलाप करने के लिए संबंधित देश के केंद्रीय बैंक/सरकार अथवा वित्तीय विनियामक प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत संस्था होनी चाहिए। विदेशी प्रधान अधिकारी के पंजीकरण का देश धन शोधन निवारण मानकों का अनुपालनकर्ता होना चाहिए।

सी. विदेशी प्रधान अधिकारी की न्यूनतम निवल मालियत अद्यतन लेखा परिक्षित तुलनपत्र के अनुसार कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डालर होनी चाहिए, जो हर समय बनाये रखी जानी चाहिए। तथापि, रिज़र्व बैंक, वित्तीय कार्रवाई कार्य दल के सदस्य देशों में समाविष्ट और संबंधित केंद्रीय बैंक/सरकार अथवा वित्तीय विनियामक प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित विदेशी प्रधान अधिकारियों के मामले में न्यूनतम निवल मालियत संबंधी मानदंड में छूट देने पर विचार कर सकता है।

डी. विदेशी प्रधान अधिकारी धन अंतरण कारोबार में सुविनियमित बाजारों में परिचालन के ट्रैक रिकार्ड के साथ सुस्थापित होना चाहिए।

ई. विदेशी प्रधान अधिकारी के साथ गठ-जोड़ व्यवस्था होने के परिणामस्वरूप दोनों ओर औपचारिक धन अंतरण सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए।

एफ. विदेशी प्रधान अधिकारी विदेशी व्यापार/ उद्योग निकायों के पास पंजीकृत होना चाहिए।

जी. विदेशी प्रधान अधिकारी के पास किसी अंतर्राष्ट्रीय ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी से प्राप्त अच्छी रेटिंग होनी चाहिए।

एच. विदेशी प्रधान अधिकारी को अपने न्यूनतम दो बैंकों से गोपनीय रिपोर्टें प्रस्तुत करनी चाहिए।

आई. विदेशी प्रधान अधिकारी को अपने मूल/मेजबान देश में धन शोधन निवारण मानदंडों को पूरा करने के लिए की गयी कार्रवाई संबंधी, किसी स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

जे. विदेशी प्रधान अधिकारी भारत में अपने एजेंटों और उप-एजेंटों के कार्यकलापों के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

के. विदेशी प्रधान अधिकारी द्वारा विप्रेषक तथा भारत में सभी पे-आउट से संबंधित लाभार्थियों के यथोचित रिकार्ड रखे जाने चाहिए। रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों अर्थात् वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एफआइयु-आइएनडी, आदि द्वारा मांगे जाने पर सभी रिकार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विप्रेषकों तथा लाभार्थियों के पूरे ब्योरे, मांगे जाने पर, विदेशी प्रधान अधिकारी द्वारा दिये जाने चाहिए।

भारतीय एजेंटों द्वारा उप-एजेंटों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश

1. योजना

इस योजना के तहत, भारतीय एजेंट धन अंतरण कारोबार करने के प्रयोजन के लिए कतिपय शर्तें पूर्ण करने वाली एंटीटीज़ के साथ उप एजेंसी करार कर सकते हैं।

2. उप-एजेंट

उप-एजेंट के पास कारोबार करने के लिए स्थान होना चाहिए और जिसकी वास्तविकता/ सदाशयता भारतीय एजेंट को स्वीकार्य होनी चाहिए। भारतीय एजेंट उप-एजेंट के साथ पारस्परिक करार के जरिये करार की अवधि और कमीशन अथवा शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय एजेंट द्वारा उप-एजेंटों के परिसरों तथा रिकार्डों की लेखा-परीक्षा और प्रत्यक्ष निरीक्षण क्रमशः महीने में और वर्ष में कम से कम एक बार की जानी/किया जाना चाहिए।

3. भारतीय एजेंटों द्वारा उप-एजेंटों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

भारतीय एजेंटों को तिमाही के दौरान नियुक्त उप-एजेंटों से संबंधित आवश्यक जानकारी विनिर्दिष्ट फार्मेट (संलग्नक-II) में, साफ्ट प्रति के रूप में, संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में भारतीय एजेंट का पंजीकृत कार्यालय आता है, को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के जरिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित करनी चाहिए। यदि गृह मंत्रालय को कोई आपत्ति होगी, तो संबंधित उप-एजेंसी व्यवस्था तत्काल समाप्त करनी होगी।

भारतीय एजेंट संलग्नक-II में जानकारी देने के साथ-साथ इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा नियुक्त उप-एजेंट पात्रता मानदंड पूर्ण करते हैं और उनके संबंध में समुचित सावधानी, जहां कहीं लागू हो, बरती गयी है।

4. उप-एजेंटों संबंधी समुचित सावधानी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और डाक विभाग से भिन्न उप-एजेंटों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय भारतीय एजेंट और विदेशी प्रदान अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम जांच की जानी चाहिए:

- उप-एजेंट की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां/इस क्षेत्र में उनकी स्थिति।
- उप-एजेंट के पक्ष में दुकान और संस्थापना / लागू अन्य म्युनिसिपल प्रमाणन।
- संबंधित स्थान पर उप-एजेंट की भौतिक उपस्थिति का सत्यापन।
- स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से उप-एजेंट के संबंध में आचरण प्रमाणपत्र। (निगमित संस्थाओं के संबंध में संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम तथा निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि)

टिप्पणी: यद्यपि उप-एजेंट के संबंध में स्थानीय पुलिस से आचरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना भारतीय एजेंटों के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी भारतीय एजेंट उप-एजेंटों के रूप में ऐसे व्यक्तियों/कंपनियों (संस्थाओं) की नियुक्ति करने से बचें, जिनके खिलाफ कानून व्यवस्था स्थापित/लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मामले(case)/कार्यवाही प्रारंभ की गयी हो अथवा लंबित हों।

- विगत आपराधिक मामले, कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी द्वारा उप-एजेंटों और/अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुद्ध चलाये गये/लंबित मामलों, यदि कोई हो, के संबंध में घोषणा-पत्र।
- उप-एजेंटों और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड।
- उप-एजेंट के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य कार्मिकों (key persons) के फोटोग्राफ।

उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, अवश्य की जानी चाहिए। भारतीय एजेंटों को उप-एजेंट के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करने वाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य उनसे प्राप्त करने चाहिए। भारतीय एजेंट ऐसे उप-एजेंटों के साथ करारों को रद्द करेंगे, जो इस परिपत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर उल्लिखित मानदंड पूरे नहीं करेंगे।

5. केंद्रों का चयन

भारतीय एजेंट योजना के परिचालन के लिए केंद्रों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, इस संबंध में रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाए।

6. प्रशिक्षण

भारतीय एजेंटों से अपेक्षित है कि वे योजना के परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में उप-एजेंटों को प्रशिक्षण दें।

7. रिपोर्टिंग, लेखा-परीक्षा और निरीक्षण

भारतीय एजेंट/एजेंटों से अपेक्षित होगा कि वे अपने उप-एजेंटों द्वारा किए गए लेनदेनों की (नियमित आधार पर) जैसे मासिक आधार पर, भारतीय एजेंट द्वारा विनिर्दिष्ट सरल फॉर्मेट में, उन्हें (भारतीय एजेंट को) रिपोर्ट करने के लिए उचित व्यवस्था लागू करें।

भारतीय एजेंटों द्वारा कम से कम मासिक आधार पर उप-एजेंटों के सभी कार्य-स्थानों की नियमित स्पॉट लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी लेखा-परीक्षा में समर्पित दल (dedicated team) शामिल करने चाहिए और उप-एजेंटों के अनुपालन के स्तर की जांच करने के लिए "मिस्ट्री ग्राहक" (ऐसे व्यक्ति जो संबंधित लोगों और प्रक्रिया से अपेक्षित निष्पादन के स्तर के संबंध में अनुभव प्राप्त करने और मूल्यांकन करने के लिए संभाव्य ग्राहक के रूप में कार्य करते हैं) की अवधारणा का उपयोग किया जाना चाहिए। उल्लेखानुसार, उप-एजेंटों की बहियों के निरीक्षण की एक प्रणाली भी लागू की जाए। इस निरीक्षण का प्रयोजन, जो साल में कम से कम एक बार होना है, यह सुनिश्चित करना है कि उप-एजेंटों द्वारा धन अंतरण कारोबार, करार की शर्तों के अनुसार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और उप-एजेंटों द्वारा आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

टिप्पणी:- भारतीय एजेंट अब भी अपने उप-एजेंट के कार्यकलापों के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं। जबकि भारतीय एजेंटों को स्वयं-विनियमित संस्था के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उप-एजेंटों के यथोचित कार्यकलाप सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः भारतीय एजेंटों की होगी तथा उप-एजेंटों के कार्यकलापों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्येक भारतीय एजेंट को उप-एजेंट की नियुक्ति करने से पहले समुचित सावधानी बरतनी चाहिए और कोई अनियमितता पाये जाने पर भारतीय एजेंट की अनुमति रद्द किए जाने की पात्र हो सकती है।

खंड IV

मौजूदा भारतीय एजेंटों को दी गयी अनुमति (प्राधिकार) के नवीकरण के लिए दिशानिर्देश

1. भारतीय एजेंटों को आवश्यक अनुमति प्रथमतः एक वर्ष के लिए जारी की जाएगी, जो रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर जारी, सभी शर्तों तथा अन्य निर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन करने के आधार पर एक से तीन वर्षों तक के लिए नवीकृत की जा सकती है।

2. आवेदक 6 मार्च 2006 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 25 [ए.पी.(एफएल सीरीज़) परिपत्र सं.2] में यथा परिभाषित कोई प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी ॥ अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अथवा कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा डाक विभाग होना चाहिए।

3. भारतीय एजेंट की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियाँ रु.50 लाख होनी चाहिए।

4. अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र खंड ॥ में दिए गए ब्योरों के अनुसार विदेशी प्रधान अधिकारी से संबंधित दस्तावेजों सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में भारतीय एजेंट का पंजीकृत कार्यालय आता है:

ए. इस आशय का एक घोषणा पत्र कि भारतीय एजेंट अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी कानून लागू करने वाली एजेंसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है/अनिर्णित नहीं हैं और भारतीय एजेंट अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर नहीं है/लंबित नहीं है।

बी. भारतीय एजेंट द्वारा अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी विवरण, जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण नीतिगत ढांचा तैयार और लागू करने से संबंधित ब्योरा।

सी. भारतीय एजेंट के पिछले दो वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, यदि उपलब्ध हों, अथवा अद्यतन लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति के साथ आवेदन की तारीख को निवल स्वाधिकृत निधियों की स्थिति संबंधी सांविधिक लेखा परीक्षक/कों का प्रमाणपत्र ।

डी. भारतीय एजेंट के कम से कम दो बैंकों से मुहरबंद लिफाफे में गोपनीय रिपोर्टें।

ई. वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत भारतीय एजेंट की सहयोगी/संबद्ध संस्था के ब्योरे।

एफ. अनुमति के नवीकरण के लिए बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।

टिप्पणी:- धन अंतरण सेवा योजना के तहत मिली अनुमति के समाप्त होने से एक माह पूर्व अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर अनुमति के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब कोई एंटीटी धन अंतरण सेवा योजना के तहत अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है तो नवीकरण की तारीख तक अथवा आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति जारी/बनी रहेगी। उक्त अनुमति की समाप्ति के बाद धन अंतरण सेवा योजना के तहत अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया जाएगा।

खंड V

भारतीय एजेंटों का निरीक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 12(1) के प्रावधानों के तहत भारतीय एजेंटों का निरीक्षण किया जा सकता है।

खंड VI

भारतीय एजेंटों के लिए अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी दिशानिर्देश

धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों/ और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने (सीएफटी) पर वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के संदर्भ में सीमापार से आवक धन प्रेषण कार्यकलापों के संबंध में धन अंतरण सेवा योजना के तहत अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने (सीएफटी) के संबंध में विस्तृत अनुदेश निर्धारित किये गये हैं (संलग्नक-I)।

खंड VII

सामान्य अनुदेश

सभी विदेशी प्रधान अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से निवल मालियत संबंधी प्रमाणपत्र के साथ अपना वार्षिक लेखा परीक्षण किया गया तुलन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को प्रस्तुत करें। इसी तरह, सभी भारतीय एजेंटों से यह अपेक्षित है कि वे अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों संबंधी प्रमाणपत्र के साथ अपना वार्षिक लेखापरीक्षण किया गया तुलन पत्र रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। चूंकि विदेशी प्रधान अधिकारियों और भारतीय एजेंटों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतरता के आधार पर न्यूनतम निवल मालियत और न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां बनाये रखें, अतः उनसे यह अपेक्षित है कि यदि उनकी निवल मालियत/उनकी निवल स्वाधिकृत निधियां न्यूनतम स्तर से कम हो जाती हैं तो निवल मालियत/निवल स्वाधिकृत निधियां न्यूनतम आवश्यक स्तर तक लाने के लिए ब्योरेवार समयबद्ध योजना का उल्लेख करते हुए उससे भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल अवगत कराएं।

भाग – बी

रिपोर्टें/विवरण

1. भारतीय एजेंटों द्वारा प्राप्त विप्रेषणों की मात्रा से संबंधित तिमाही विवरण रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में उनका पंजीकृत कार्यालय आता है, को संबंधित तिमाही की समाप्ति से **15 दिनों के भीतर संलग्न फॉर्मेट (संलग्नक - III)** के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. भारतीय एजेंटों को अपने अतिरिक्त कार्य स्थानों (locations) के पते की सूची **तिमाही** आधार पर रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में उनका पंजीकृत कार्यालय आता है, को संबंधित तिमाही की समाप्ति से **15 दिनों के भीतर** प्रस्तुत की जाए।
3. भारतीय एजेंटों द्वारा अपने उप-एजेंटों के सभी कार्य स्थलों के पते सहित विदेशी प्रधान अधिकारी-भारतीय एजेंट-वार अपने उप-एजेंटों की सूची एक्सेल फॉर्मेट में, साफ्ट फार्म में, ई-मेल से प्रस्तुत की जाए। भारतीय एजेंट जब कभी अपने उप एजेंटों को नियुक्त करें/ हटाएं, तो उनके संबंध में पूर्ण रूप से अद्यतन सूची (सभी कार्य स्थलों के नाम और पते सहित) एक्सेल फॉर्मेट में, साफ्ट फार्म में, ई-मेल से विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकारक्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है, को प्रेषित करें। भारतीय एजेंट नियमित अंतराल पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखते रहें, उस पर प्रदर्शित उप एजेंटों की सूची से अपनी सूची को सत्यापित करते रहें और यदि उसमें कोई अंतर मिले तो उसे विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में तुरंत लाएं। इसके अलावा, भारतीय एजेंट भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित उक्त सूची के सही होने की पुष्टि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अनुवर्ती **15 दिनों के भीतर** विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को पत्र भेज कर अथवा ई-मेल से करें।
4. भारतीय एजेंटों द्वारा प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के अंत में धारित संपार्श्विकों संबंधी **अर्ध वार्षिक विवरण** संलग्न फॉर्मेट (**संलग्नक-IV**) में संबंधित अर्ध वर्ष की समाप्ति से **15 दिनों के भीतर** विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है, को प्रेषित किए जाएं।

भारतीय एजेंटों के लिए अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश

खंड -1

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व - धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत सीमापार से आवक विप्रेषण

1. प्रस्तावना

धन शोधन का अपराध, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 3 में "जो कोई अपराध की प्रक्रिया के साथ जुड़ी किसी क्रियाविधि अथवा गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शामिल होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है अथवा जानबूझकर कोई पार्टी है अथवा वास्तविक रूप से शामिल है और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रक्षेपित करता है वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा" के रूप में परिभाषित किया गया है"। धन शोधन ऐसी प्रक्रिया कही जा सकती है जिसमें मुद्रा अथवा अन्य परिसंपत्तियां अपराध के आगम के रूप में प्राप्त की गयी हैं, जो क्लीन मॅनी ("बेजमानती मुद्रा ") के लिए विनिमय की जाती हैं अथवा उनके अपराधिक मूल से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है ऐसी अन्य परिसंपत्तियां हैं ।

2. उद्देश्य

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करने का उद्देश्य अपराधिक घटकों द्वारा काले धन के शोधन अथवा आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने में अपनायी जाने वाली धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत पूरे विश्वभर से भारत में सीमा-पार से आवक मुद्रा अंतरण की पद्धति का उपयोग हो जाने से रोकना है। अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) क्रियाविधि से प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट है (अब इसके बाद प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) के रूप में उल्लिखित है), अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय व्यवहारों को बेहतर जान/समझ सकेंगे, जिससे वे अपना जोखिम प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से कर सकेंगे ।

3. ग्राहक की परिभाषा

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) नीति के प्रयोजन के लिए 'ग्राहक' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

- कोई व्यक्ति जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत कभी-कभी/नियमित सीमा-पार से धन विप्रेषण प्राप्त करता है ;
- कोई एक (व्यक्ति) जिसकी ओर से धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत सीमा-पार से आवक धन विप्रेषण प्राप्त करता है (अर्थात हिताधिकारी स्वामी) ।

[धन शोधन निवारण नियमावली के नियम 9, उप-नियम (1ए) - भारत सरकार की 12 फरवरी 2010 की अधिसूचना के मद्देनजर 'हिताधिकारी स्वामी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका अंततः स्वामित्व या नियंत्रण ग्राहक पर है और या किसी व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किये जाते हैं और जिसमें अधिकारिता वाले व्यक्ति पर अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण होता है।]

4. दिशा-निर्देश

4.1 सामान्य

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सीमापार से आवक धन विप्रेषण वितरित करते समय ग्राहकों से जमा की गयी जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए और उसके व्योरे प्रति बिक्री अथवा उसके जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। अतः प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक से मांगी गयी जानकारी ज्ञात जोखिम से संबंधित है एवं वह अनुचित नहीं है और इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार है। जहाँ कहीं आवश्यक हो ग्राहक से अपेक्षित कोई अन्य जानकारी उसकी सहमति से अलग से माँगी जानी चाहिए।

4.2 अपने ग्राहक को जानिये नीति

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को अपनी "अपने ग्राहक को जानिये नीति" निम्नलिखित चार मुख्य घटकों को अंतर्निहित करते हुए बनानी चाहिए :

- ए) ग्राहक स्वीकृति नीति;
- बी) ग्राहक पहचान प्रक्रिया;
- सी) लेनदेनों पर निगरानी
- डी) जोखिम प्रबंधन

4.3 ग्राहक स्वीकृति नीति (सीएपी)

ए) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को ग्राहकों को स्वीकारने के लिए सुनिश्चित मापदंड निर्धारित करते हुए एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकृति नीति विकसित करनी चाहिए। ग्राहक स्वीकृति नीति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) के साथ ग्राहक के संबंधों के बाबत निम्नलिखित पहलुओं पर सुनिश्चित दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

i) अज्ञात नाम अथवा काल्पनिक/बेनामी नाम (नामों) से कोई धनविप्रेषण प्राप्त नहीं किया जाता है।

[16 जून 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना, नियम 9, उप-नियम (1सी) के मद्देनजर प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) किसी अज्ञात या छद्म नामधारी व्यक्ति (व्यक्तियों) या ऐसे व्यक्ति जिसकी पहचान स्पष्ट न हो या सत्यापित न की जा सकती हो, के नाम से किसी लेनदेन की अनुमति नहीं देगा।]

ii) जोखिम अवधारणा के मापदंड, व्यवसाय गतिविधि का स्वरूप, ग्राहक और उसके मुवक्किल का स्थान, भुगतान का तरीका, टर्नओवर की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति, आदि के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित किये गये हैं, जिससे ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके (प्राधिकृत व्यक्ति कोई यथोचित नामपद्धति अर्थात् स्तर I, स्तर II और स्तर III पसंद कर सकते हैं)। ऐसे ग्राहक, अर्थात् पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीइपीएस) जिनके लिए उच्च स्तर की मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, वे अधिक उच्चतर श्रेणी में वर्गीकृत किये जा सकते हैं।

iii) प्राकृतिक जोखिमों के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002, समय-समय पर यथासंशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूपों और मूल्यों के अभिलेखों के रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के ग्राहकों के संबंध में प्रलेखीकरण अपेक्षाएं पूरी करना एवं अन्य सूचनाएं एकत्रित करना।

iv) जिन मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) यथोचित ग्राहक सावधानी उपाय लागू नहीं कर सकता है अर्थात् प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) पहचान सत्यापित नहीं कर सकता है और / अथवा ग्राहक के असहयोग अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये गये आँकड़े/जानकारी की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम वर्गीकरण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता है तो ऐसे मामलों में किसी धन-विप्रेषण का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह आवश्यक है कि ग्राहक को होने वाली परेशानी टालने के लिए यथोचित नीति बनायी जाए। ऐसी परिस्थिति में जब प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को यह विश्वास हो कि वह ग्राहक की सही पहचान से अवगत होने से संतुष्ट नहीं हो सकेगा तो प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) एफआइयु-आइएनडी के पास एसटीआर फाइल करें।

v) जिस स्थिति में ग्राहक को दूसरे व्यक्ति/दूसरी संस्था (एंटीटी) की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है उस स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, लाभाधिकारी स्वामी की पहचान की जानी चाहिए और उसकी पहचान के सत्यापन के लिए सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिए।

बी) जब सीमा-पार से नियमित आवक धन विप्रेषण प्राप्त किये जाते हैं/अपेक्षित होते हैं तब जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को प्रत्येक नये ग्राहक का प्रोफाइल बनाना चाहिए। ग्राहक प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक/वित्तीय स्थिति संबंधी जानकारी, आदि निहित होनी चाहिए। यथोचित सावधानी का स्वरूप और सीमा प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) द्वारा प्राक्कलित जोखिम संबंधी जानकारी पर आधारित होंगी। तथापि, ग्राहक प्रोफाइल तैयार करते समय प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को ग्राहक से केवल वही जानकारी मांगने पर ध्यान देना चाहिए जो जोखिम की श्रेणी से संबंधित है, न कि हस्तक्षेप करनेवाली। ग्राहक प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज है और उसमें निहित ब्योरे आदान-प्रदान (cross selling) अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रकट नहीं किये जाने चाहिए।

सी) जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति (उच्च निवल मालियत से भिन्न) और संस्थाएं, जिनकी पहचान और संपत्ति के स्रोत आसानी से जाने जा सकते हैं और सब मिलाकर जिनके द्वारा किये गये लेनदेन ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, उन्हें निम्न जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया जाए। ऐसे ग्राहक, जो औसतन जोखिम से उच्चतर जोखिमवाले प्रतीत होते हैं, उन्हें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और उसके मुवक्किल की प्रोफाइल, आदि के आधार पर मध्यम अथवा उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया जाए। प्राधिकृत व्यक्तियों को जोखिम निर्धारण के आधार पर बड़े हुए यथोचित सावधानी उपाय लागू करने चाहिए, जिसके लिए उच्चतर जोखिम वर्ग के ग्राहकों, विशेषतः जिनके निधियों के स्रोत ही स्पष्ट नहीं हैं, के संबंध में व्यापक 'यथोचित सावधानी' बरतने की आवश्यकता होगी। बड़े हुए यथोचित सावधानी उपाय जिन ग्राहकों पर लागू होने हैं उनके उदाहरणों में (ए) अनिवासी ग्राहक; (बी) ऐसे देशों के ग्राहक जो वित्तीय कार्रवाई कार्यदल मानक लागू नहीं करते हैं अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं; (सी) उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति; (डी) राजनयिक (पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन) (पीईपी); (ई) सामने न होनेवाले ग्राहक; और (एफ) उपलब्ध आम जानकारी के अनुसार सन्दिग्ध प्रतिष्ठा वाले ग्राहक, आदि शामिल हैं।

(डी) यह बात ध्यान में रखनी महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकृति नीति अपनाना तथा उसका कार्यान्वयन अत्यंत नियामक (कठिन) नहीं होना चाहिए और उसका परिणाम आम जनता को सीमा-पार से आवक धन विप्रेषण सुविधाओं को नकारने के रूप में नहीं होना चाहिए।

(ई) संपूर्ण विश्व से आपराधिक तत्वों द्वारा इरादतन या गैर-इरादतन धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए भारत में धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत सीमा-पार से धन के अंतःप्रवाह को रोकने/की प्रणाली का इस्तेमाल न होने देने के लिए जब भी धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण या जब अन्य तथ्य ग्राहक के बारे में संदेह उत्पन्न करते हों, भले ही जोखिम कम स्तर का प्रतीत हो, तो

प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) द्वारा धन विप्रेषण संबंधी भुगतान से पूर्व ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने के सम्यक मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

4.4 ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआइपी)

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में लाभार्थी को भुगतान करते समय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को पूर्व में प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों की प्रामाणिकता/ यथातथ्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में संदेह होने पर अपनायी जाने वाली ग्राहक पहचान प्रक्रिया स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। ग्राहक पहचान का अर्थ ग्राहक को पहचानना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज, आंकड़े अथवा जानकारी का उपयोग करते हुए उनकी पहचान सत्यापित करना है। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को उनकी संतुष्टि होने तक प्रत्येक नये ग्राहक की पहचान निश्चित करने के लिए पर्याप्त आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, भले ही वह नियमित अथवा अनियमित ग्राहक हो। संतुष्ट होने का अर्थ है कि प्राधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकें कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर यथोचित सावधानी बरती गयी थी। इस प्रकार जोखिम आधारित दृष्टिकोण प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को असमानुपातिक लागत और ग्राहकों के लिए भारी व्यवस्था टालने के लिए लिए आवश्यक है। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) को ग्राहक की पहचान करने तथा उसके पते/स्थान का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त पहचान आँकड़े प्राप्त करने चाहिए। ऐसे ग्राहकों के लिए जो साधारण व्यक्ति हैं, प्राधिकृत व्यक्तियों को ग्राहक की पहचान और उसके पते / स्थान का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त पहचान दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए। ऐसे ग्राहकों के लिए जो विधिक व्यक्ति विशेष हैं, प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को (i) यथोचित और संबंधित दस्तावेजों के जरिये विधिक व्यक्ति की विधिक स्थिति सत्यापित करनी चाहिए; (ii) विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है तथा उस व्यक्ति की पहचान पहचाननी तथा सत्यापित करनी चाहिए; और (iii) ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना समझनी चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि साधारण व्यक्ति कौन है जो विधिक व्यक्ति का आखिरकार नियंत्रण करता है। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) के दिशा-निर्देश के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएं, विशेषतः, विधिक व्यक्तियों, जिनके बारे में और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, नीचे पैराग्राफ 4.5 में दी गयी है। तथापि, प्राधिकृत व्यक्ति(भारतीय एजेंट), ऐसे व्यक्तियों के साथ कार्य करते समय प्राप्त हुए उनके अनुभव, उनके सामान्य विवेक और स्थापित परंपराओं के अनुसार विधिक अपेक्षाओं के आधार पर अपने निजी आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करें। यदि प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार ऐसे लेनदेन करने का निर्णय लेता है तो प्राधिकृत व्यक्ति(भारतीय एजेंट) लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) की पहचान करने के लिए यथोचित उपाय करे तथा उसकी /उनकी पहचान इस तरीके से सत्यापित करे कि प्राधिकृत व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि लाभार्थी कौन है [16 जून 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना - नियम 9, उप-नियम (1ए) के मद्देनजर]।

टिप्पणी: धन शोधन निवारण नियमावली, 2005 के नियम 9 (1ए) में यह अपेक्षित है कि धन अंतरण सेवा योजना के तहत आने वाले प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को लाभार्थी स्वामी (beneficial owner)

की पहचान करनी चाहिए और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। 'लाभार्थी स्वामी' का तात्पर्य उस साधारण व्यक्ति से है जिसका अंततः स्वामित्व या नियंत्रण ग्राहक पर है और / या किसी व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किये जाते हैं और जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल है जिनका विधिक व्यक्ति पर अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण होता है। भारत सरकार ने अब मामले की जाँच की है और लाभार्थी स्वामित्व (beneficial ownership) के निर्धारण के लिए क्रियाविधि विनिर्दिष्ट की है। भारत सरकार द्वारा सूचित की गयी क्रियाविधि निम्नवत है:

ए. यदि ग्राहक कोई व्यक्ति अथवा ट्रस्ट से भिन्न व्यक्ति हो, तो प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को ग्राहक के लाभार्थी स्वामियों (beneficial owners) की पहचान करनी चाहिए और निम्नलिखित जानकारी के जरिये ऐसे व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए:

(i) साधारण व्यक्ति (natural person) की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गयी है, जो, अकेले अथवा साथ में, अथवा एक अथवा अधिक विधिक व्यक्तियों के जरिये कार्य करता है, स्वामित्व के जरिये नियंत्रण करता है अथवा जिसका आखिरकार नियंत्रक स्वामित्व-हित है।

स्पष्टीकरण: नियंत्रक स्वामित्व हित का अर्थ शेयरों अथवा पूँजी अथवा विधिक व्यक्ति के लाभों का 25 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व/हक़दारी होता है, यदि विधिक व्यक्ति एक कंपनी हो; विधिक व्यक्ति की पूँजी अथवा लाभों के 15% से अधिक स्वामित्व/हक़दारी होता है, यदि विधिक व्यक्ति एक साझेदारी (कंपनी) हो; अथवा विधिक व्यक्ति की संपत्ति अथवा पूँजी अथवा लाभों के 15% से अधिक स्वामित्व/हक़दारी होता है, यदि विधिक व्यक्ति अनिगमित एसोसिएशन अथवा व्यक्तियों का निकाय हो।

(ii) ऐसे मामलों में, जहाँ उल्लिखित मद (i) के संबंध में संदेह हो कि नियंत्रक स्वामित्व हित रखने वाला व्यक्ति लाभार्थी स्वामी है अथवा जहाँ स्वामित्व हित के माफ़त साधारण व्यक्ति नियंत्रण नहीं रखता है अथवा नहीं, वहाँ विधिक व्यक्ति पर नियंत्रण करने वाले साधारण व्यक्ति की पहचान अन्य साधनों से की जाएगी।

स्पष्टीकरण: मतदान अधिकार, करार, व्यवस्थापन, आदि के जरिये अन्य साधनों से नियंत्रण किया जा सकता है।

(iii) जहाँ साधारण व्यक्ति की उल्लिखित मद (i) अथवा (ii) के तहत पहचान नहीं की जा सकती है, वहाँ संबंधित साधारण व्यक्ति की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जाएगी, जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी की हैसियत धारण करता है।

बी) जब ग्राहक ट्रस्ट है, तो प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को ग्राहक के लाभार्थी स्वामियों (beneficial owners) की पहचान करनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के लिए ट्रस्ट का

व्यवस्थापनकर्ता, ट्रस्टी, संरक्षक, ट्रस्ट में 15% अथवा अधिक हित के लाभार्थी और नियंत्रण अथवा स्वामित्व की श्रृंखला के जरिये ट्रस्ट पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले अन्य साधारण व्यक्ति की पहचान के जरिये सभी उचित कदम उठाने चाहिए।

सी) जहाँ ग्राहक अथवा नियंत्रक हित का स्वामित्व स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध कोई कंपनी है, अथवा ऐसी किसी कंपनी की प्रमुख स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तो ऐसी कंपनियों के शेयरहोल्डर अथवा लाभार्थी स्वामी (beneficial owner) की पहचान करने और पहचान के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

बी) कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, अर्थात् पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता, आदि जो उनके पति, पिता/माता और पुत्र/पुत्री, जैसी भी स्थिति हो, के साथ रहते हैं, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) के साथ लेनदेन करना कठिन हो सकता है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक उपयोगिता बिल उनके नाम में नहीं होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट), भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है, उससे इस घोषणापत्र के साथ कि लेनदेन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति वही व्यक्ति (भावी ग्राहक) है तथा वह उनके साथ रहता है, उसके पहचान दस्तावेज और उपयोगिता बिल प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) पते के और सत्यापन के लिए डाक द्वारा प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं। इस विषय पर शाखाओं को परिचालनगत अनुदेश जारी करते समय, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों, जो अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों को टालना चाहिए।

सी) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को, यदि कारोबारी संबंध बने रहते हैं तो ग्राहक पहचान डाटा आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली बनानी चाहिए।

डी) ग्राहक पहचान के लिए जिन कागजातों/जानकारी पर विश्वास किया जाना चाहिए, उनके प्रकार और स्वरूप की एक निर्देशक सूची इस परिपत्र के खंड ॥ में दी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड ॥ में उल्लिखित सही स्थायी पते का अर्थ है कि व्यक्ति सामान्यतः उस पते पर रहता है और ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोगिता बिल अथवा स्वीकृत कोई अन्य कागजात में उल्लिखित पते के रूप में लिया जा सकता है। जहाँ धन शोधन या आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तपोषण का संदेह हो या ग्राहक की पहचान से संबंधित पहले लिये गये आँकड़ों की पर्याप्तता और सत्यता के बारे में संदेह हो, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी (भारतीय एजेंट) ग्राहक की पहचान के पुनर्सत्यापन और संबंधित प्रयोजन संबंधी सूचना प्राप्त करने तथा इच्छित कारोबारी रिश्ते के स्वरूप सहित समुचित सावधानी उपायों की समीक्षा करे। [16 जून 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना – पीएमएल नियमाली के नियम 9, उप-नियम (1 डी) के मद्देनजर]।

ई) लाभार्थियों को भुगतान

i) लाभार्थियों को भुगतान के लिए खंड ॥ में किये गये उल्लेख के अनुसार, पहचान संबंधी कागजातों का सत्यापन किया जाए तथा उनकी एक प्रति (अभिलेख में) रखी जाए। लाभार्थी के पहचान संबंधी

दस्तावेजों की प्राप्त प्रतियों में वर्तमान (current) एवं पहचानने योग्य फोटोग्राफ शामिल होने चाहिए। इस परिपत्र की तारीख से आगामी छह माह की अवधि के लिए इसे जारी रखा जाए, बशर्ते प्रत्येक भुगतान के दौरान पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जब यह पता चले कि लाभार्थी ने किसी ऐसे फोटो पहचान पत्र के आधार पर निधियां प्राप्त की हैं जो उसके फोटो से मेल नहीं खाता है तो एजेंट/उप-एजेंट के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। उसके बाद, इस पहचान प्रक्रिया के अलावा, लाभार्थी को नकद भुगतान के मामले में लाभार्थी की बायोमीट्रिक पहचान भी शामिल की जाएगी। यह निर्धारण अंततः यूआईडी के पूरी तरह लागू होने पर उससे जुड़ जाएगी।

- ii) योजना के तहत व्यक्तिगत धन विप्रेषणों पर 2500 अमरीकी डॉलर की सीमा रखी गयी है। ₹. 50,000 तक की राशि का भुगतान नकद में किया जाए। इस सीमा से अधिक राशि का भुगतान चेक/ मांग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश द्वारा ही किया जाए अथवा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए। तथापि, अपवादात्मक स्थितियों में, जब लाभार्थी कोई विदेशी पर्यटक है, उच्चतर राशियां नकद वितरित की जा सकती हैं। किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान किसी एकल व्यक्ति विशेष द्वारा केवल 30 धन विप्रेषण प्राप्त किये जा सकते हैं।
- iii) 2MTSS के तहत प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषण को केवाईसी अनुपालक लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे- एनईएफटी, आईएमपी, आदि के मार्फत अंतरित करने की अनुमति दी जाए। इस के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

MTSS के तहत भारतीय एजेंट के रूप में कार्यरत बैंक ('पार्टनर बैंक' के रूप में अभिहित) द्वारा प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी के खाते में भारतीय एजेंट बैंक से भिन्न किसी अन्य बैंक ('प्राप्तकर्ता बैंक' के रूप में अभिहित) में रखे गए खाते में निम्नलिखित शर्तों के तहत सीधे जमा किया जा सकता है:

ए. प्राप्तकर्ता बैंक पार्टनर बैंक द्वारा अंतरित राशि को केवल केवाईसी अनुपालक बैंक खातों में ही जमा करेगा।

बी. जो खाते केवाईसी का अनुपालन नहीं करते हैं, ऐसे बैंक खाते में विप्रेषण जमा करने अथवा आहरण की अनुमति देने से पहले, प्राप्तकर्ता बैंक ऐसे खाताधारक/कों के संबंध में केवाईसी/सीडीडी की प्रक्रिया पूरी करेगा।

सी. यह इंगित करने के लिए कि खाते में सीधे जमा होने वाला विप्रेषण, एक विदेशी आवक विप्रेषण है, प्राप्तकर्ता बैंक के लिए पार्टनर बैंक विप्रेषण को उचित रूप में चिह्नित (मार्क) करेगा।

डी. पार्टनर बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्राप्तकर्ता बैंक को फंड अंतरित करते समय प्रारंभकर्ता (originator) और लाभार्थी संबंधी सही जानकारी इलेक्ट्रॉनिक संदेश में शामिल हो। यह जानकारी अर्थात् ओवरसीज प्रिंसिपल, पार्टनर बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक भुगतान शृंखला के दौरान सभी विप्रेषण संदेशों में उपलब्ध होनी

चाहिए। पार्टनर बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संदेश में एक उचित चेतावनी शामिल की जानी चाहिए कि यह एक विदेशी आवक विप्रेषण है और इसे केवाईसी गैर-अनुपालित खाते तथा एनआरई/एनआरओ खाते में जमा न किया जाए।

ई० प्राप्तकर्ता की पहचान और उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा। MTSS के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के तहत अन्य सभी अपेक्षाओं का पालन पार्टनर बैंक द्वारा किया जाएगा।

एफ० प्राप्तकर्ता बैंक पार्टनर बैंक से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है और जिस पार्टनर बैंक के माध्यम से विप्रेषण प्राप्त हुआ है उसके ब्योरे देते हुए वह संदिग्ध लेनदेनों को एफआईयू-आयएनडी को रिपोर्ट करेगा।

एफ). भारत सरकार की अधिसूचनाओं के तहत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज³

- i. भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण – (यूआईडीएआई) द्वारा जारी कागजी आधार कार्ड/पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या दी गई हो, को अब 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पता और आधार पत्र में दिया गया पता दोनों एक ही हों तो उसे पहचानपत्र एवं पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- ii. यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा को धनशोधन निवारण नियमावली के अंतर्गत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाए। ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणाम के रूप में यूआईडीएआई से उपलब्ध कराए गए जन सांख्यिकीय विवरण और फोटोग्राफ वाली सूचना आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाए। तथापि, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को यूआईडीएआई को स्पष्ट अनुमति देकर प्राधिकृत करना होगा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से वह उसकी पहचान/उसका पता भारतीय एजेंट/उप एजेंट को दे दे।
- iii. इसके अतिरिक्त, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-आधार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आधिकारिक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है :

³ 21 जुलाई 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.10

ए) यदि भावी ग्राहक केवल अपनी आधार संख्या जानता/जानती है, तो भारतीय एजेंट भावी ग्राहक के ई-आधार पत्र को यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा ii में दिए अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपना सकता है।

बी) यदि भावी ग्राहक के पास ई-आधार की कहीं और से डाउनलोड की गयी प्रति है तो भारतीय एजेंट, ई-आधार पत्र को यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा ii में दिए गए अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपना सकता है; या यूआईडीएआई की सरल प्रमाणीकरण सेवा के माध्यम से निवासी की पहचान और पते की पुष्टि कर सकता है।

4.5 ग्राहक पहचान अपेक्षाएं- राजनयिकों (पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स)(पीइपी) द्वारा लेनदेन- निर्देशात्मक दिशा-निर्देश

राजनयिक व्यक्ति वे हैं जिन्हें विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गये हैं अर्थात् राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक/ सेना अधिकारी, सरकारी स्वामित्ववाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनयिक पार्टी के पदाधिकारी, आदि। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को लेनदेन करने अथवा व्यवसाय संबंध स्थापित करने के इच्छुक इस श्रेणी के किसी व्यक्ति/ग्राहक के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध ऐसे व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी की जांच करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को ऐसे व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए और ग्राहक के रूप में राजनयिकों को स्वीकृति देने से पहले उनके संपत्ति के स्रोतों और निधियों के स्रोतों के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। राजनयिकों के साथ लेनदेन करने का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया जाना चाहिए और ग्राहक स्वीकृति नीति में उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को ऐसे लेनदेनों पर लगातार और ज्यादा निगरानी रखनी चाहिए। उपर्युक्त मानदंड राजनयिकों के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के साथ के लेनदेनों के लिए भी लागू किये जाएं। उल्लिखित मानदंड उन ग्राहकों पर भी लागू किये जाने चाहिए जो कारोबारी रिश्ते स्थापित होने के बाद राजनयिक जोखिम वाले व्यक्ति के रूप में तब्दील हो जाते हैं। ये अनुदेश उन लेनदेनों पर भी लागू होंगे जहाँ राजनयिक जोखिम वाला व्यक्ति अंतिम लाभार्थी (स्वामी) है। इसके अलावा, राजनयिक जोखिम वाले व्यक्तियों से संबंधित लेनदेनों के बाबत यह दोहराया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) राजनयिक जोखिम वाले ग्राहकों के पारिवारिक सदस्यों या निकट संबंधियों और उन लेनदेनों जिनमें ये अंतिम लाभार्थी स्वामी हैं के बारे में ग्राहक संबंधी उचित सावधानी के वृहत्तर उपायों की पहचान करने और लागू करने के लिए उचित लगातार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को स्थापित करें।

4.6 लेनदेनों की निगरानी

अपने ग्राहक को जानिये की प्रभावी क्रियाविधि का अत्यंत आवश्यक घटक सतत निगरानी रखना है। प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) अपने जोखिम केवल तभी प्रभावी रूप से नियंत्रित और कम कर सकेंगे जब उन्हें लाभार्थी के धन विप्रेषण की सामान्य और यथोचित प्राप्तियों(आय) के संबंध में जानकारी होगी और उनके पास ऐसी आय की पहचान करने के लिए साधन उपलब्ध होंगे जो कार्यकलाप के नियमित पैटर्न से अलग है। तथापि, निगरानी की सीमा धन विप्रेषण की जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर होगी। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को सभी

जटिल, असामान्यतः बड़ी आय और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिनका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक और प्रत्यक्ष वैध प्रयोजन नहीं है। प्राधिकृत व्यक्ति(भारतीय एजेंट) आय की विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमा निर्धारित करें और इन सीमाओं से अतिरिक्त आय पर विशेष रूप से ध्यान दें। उच्च-जोखिम प्राप्तियाँ (आय), गहन निगरानी की शर्त पर होनी चाहिए।

प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को ग्राहक की पृष्ठभूमि जैसे मूल देश, निधियों के स्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और अन्य जोखिम घटक ध्यान में लेते हुए ऐसी आय के लिए 'मूल संकेतक' (की इंडिकेटर्स) निर्धारित करने चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक पुनरीक्षा और बढ़े हुए यथोचित सावधानी उपाय लागू करने की आवश्यकता संबंधी एक प्रणाली बनानी चाहिए। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की ऐसी पुनरीक्षा आवधिक रूप से की जानी चाहिए।

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को प्रत्येक ग्राहक के साथ कारोबारी रिश्तों के संबंध में लगातार उचित सावधानी की प्रक्रिया अपनानी चाहिए और लेनदेनों की सूक्ष्म जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें ग्राहकों, उनके कारोबार, जोखिम प्रोफाइल और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ निधियों के स्रोतों की अद्यतन जानकारी लगातार बनी रहें। [16 जून 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना - नियम 9, उप-नियम (1 बी) के मद्देनजर]।

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को एफएटीएफ विवरण में शामिल क्षेत्राधिकारों और उन देशों जो एफएटीएफ सिफारिशों को अपर्याप्त रूप में लागू करते हैं, के ऐसे व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं) की भूमिका और लेनदेन के प्रयोजन की जाँच करनी चाहिए। इसके अलावा, यदि लेनदेनों में प्रकटतः कोई आर्थिक या दिखायी देने वाला विधिक प्रयोजन न हो तो भी यथासंभव ऐसे लेनदेनों की भूमिका और प्रयोजन की जाँच की जानी चाहिए तथा लिखित निष्कर्ष सभी दस्तावेजों सहित सुरक्षित रखे जाने चाहिए और अनुरोध किये जाने पर रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

4.7 प्रत्याशित लेनदेन

जब प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न किये जाने और / अथवा सहयोग न दिये जाने के कारण यथोचित अपने ग्राहक को जानिये उपाय लागू नहीं कर सकते हैं तब प्राधिकृत व्यक्तियों को लेनदेन नहीं करने चाहिए। ऐसी स्थितियों में, प्राधिकृत व्यक्तियों को ग्राहक के संबंध में संदिग्ध लेनदेन, यदि वे वास्तव में नहीं किये जाते हैं तो भी वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) को रिपोर्ट करने चाहिए।

4.8 जोखिम प्रबंधन

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) के निदेशकों के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथोचित क्रियाविधि स्थापित करते हुए एक प्रभावी "अपने ग्राहक को जानिये" कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। उसमें यथोचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियाँ और नियंत्रण, ड्यूटियों का विनियोजन, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित विषय होने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के

बीच जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से विनियोजित की जानी चाहिए कि प्राधिकृत व्यक्तियों की नीतियों और क्रियाविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया हो। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को अपने बोर्ड के साथ परामर्श करते हुए अपने मौजूदा और नये ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए नयी क्रियाविधियाँ बनानी चाहिए और किसी लेनदेन में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धन शोधन निवारण उपाय लागू करने चाहिए।

बी) अपने ग्राहक को जानिये नीतियाँ और क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने और उसका पालन सुनिश्चित करने में प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) की आंतरिक लेखा-परीक्षा और अनुपालन कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य नियम के रूप में अनुपालन कार्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) की निजी नीतियाँ और क्रियाविधियों का विधिक और विनियामक आवश्यकताओं सहित एक स्वतंत्र मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा संबंधी व्यवस्था में पर्याप्त स्टाफ है जो इस प्रकार की नीतियों और क्रियाविधियों में अत्यंत निपुण है। धन अंतरण सेवा योजना के तहत समवर्ती लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित करने के लिए सभी सीमा-पार के आवक धन विप्रेषण लेनदेनों की जाँच करनी चाहिए कि सभी लेनदेन धन शोधन निवारण दिशा-निर्देशों के अनुसार किये गये हैं और जहाँ आवश्यक हो संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट किये गये हैं। समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा अभिलिखित गलतियों पर अनुपालन, यदि कोई हो, बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे रिकार्ड में रखना चाहिए।

4.9 नयी तकनीक का समावेश

प्राधिकृत व्याक्तियों (भारतीय एजेंटों) को नयी अथवा इंटरनेट के जरिये किये गये लेनदेनों सहित विकासशील तकनीकों से प्राप्त किसी धनशोधन धमकियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो गुमनामी हो सकती हैं और उसका धनशोधन के प्रयोजन तथा आतंकवादी कार्यकलापों के वित्तीयन हेतु उपयोग करने को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए।

4.10 आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

ए) धनशोधन निवारण नियमावली के अनुसार, संदेहास्पद लेनदेनों में *अन्य बातों के साथ- साथ* ऐसे लेनदेन भी शामिल किये जाने चाहिए जो संदेह का यथोचित आधार देते हैं और मूल्य पर ध्यान दिये बिना, धनशोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित आपराधिक कार्यगत आमद में शामिल हो सकते हैं। अतः प्राधिकृत व्यक्तियों को आतंकवाद से संबंधित संदेहास्पद लेनदेनों की निगरानी और लेनदेनों की शीघ्र पहचान और वित्तीय आसूचना ईकाई को प्राथमिकता के आधार पर यथोचित रिपोर्ट करने के लिए यथोचित व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये कतिपय क्षेत्राधिकार अर्थात ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम और प्रिंसिपे, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)

बोलिविया, क्यूबा, इथोपिया, केन्या, म्यांमार, श्रीलंका, सीरिया, तुर्की और नाइजीरिया में किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी के साथ व्यवहार करते समय एएमएल/सीएफटी प्रणाली में समय-समय पर पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, परिचालित एफएटीएफ विवरण (जिसमें से 21 जून 2013 तक नवीनतम परिचालित 4 सितंबर 2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 है ⁴) के अतिरिक्त प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को एफएटीएफ सिफारिशों को अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देशों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना का उपयोग करने पर भी विचार करना चाहिए। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे एएमएल/सीएफटी से संबंधित कमी वाले देशों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ कारोबारी रिश्ते और लेनदेन करते समय इन क्षेत्रों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें और इन मामलों पर विशेष ध्यान दें।

4.11 पदनामित निदेशक और प्रधान अधिकारी

ए) पदनामित निदेशक

धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियमावली, 2005 (नियम) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) से अपेक्षित है कि वे उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड के किसी एक निदेशक को " पदनामित निदेशक" के रूप में मनोनीत करें। पदनामित निदेशक के नाम, पदनाम एवं पते की सूचना निदेशक, वित्तीय आसूचना ईकाई – भारत (एफआइयू-आइएनडी)⁵ को दी जाए।

बी) प्रधान अधिकारी

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करना जाना चाहिए। प्रधान अधिकारी को प्राधिकृत व्यक्ति के प्रधान/कापॉरिट कार्यालय में होना चाहिए और वह सभी लेनदेनों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने तथा कानून के तहत यथा आवश्यक जानकारी देने के लिए जवाबदेह होगा। समय समय पर जारी केवाईसी/एएमएल/सीएफटी संबंधी विनियामक दिशा-निर्देशों के लागू करने और उनके समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों, समय समय पर यथा संशोधित, का अनुपालन प्रधान अधिकारी की भूमिका और दायित्वों में शामिल है। प्रधान अधिकारी धन शोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध के पूरे क्षेत्र (अर्थात् ग्राहक यथोचित सावधानी, रिकॉर्ड कीपिंग, आदि) में यथोचित अनुपालन प्रबंधन व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए भी जवाबदेह होगा। वह प्रवर्तन एजेंसियों, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) और धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध का सामना करनेवाले किसी अन्य संस्था के साथ नजदीक से संपर्क रखेगा। प्रधान अधिकारी को उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से यह सूचित किया जाता है कि प्रधान अधिकारी और अन्य यथोचित स्टाफ को ग्राहक पहचान डाटा और अन्य सीडीडी जानकारी, लेनदेन

⁴ 4 सितंबर 2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.35

⁵ 16 जून 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.144

रिकार्ड और अन्य संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और वरिष्ठ प्रबंधन अथवा निदेशक बोर्ड को सीधे ही रिपोर्ट कर सके। प्रधान अधिकारी वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के समय पर प्रस्तुतीकरण के लिए जवाबदेह होगा।

4.12 लेनदेनों के रिकॉर्ड रखना/परिरक्षित की जानेवाली जानकारी/रिकॉर्डों को रखना और परिरक्षण/ वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12, लेनदेन संबंधी जानकारी के परिरक्षण और रिपोर्टिंग के बारे में प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को कतिपय दायित्व देता है। अतः प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को सूचित किया जाता है कि वे धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों का अध्ययन करें और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 की आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठायें।

(i) लेनदेनों के रिकार्ड रखना

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेनों का उचित रिकार्ड रखने के लिए नीचे दर्शाये गये अनुसार एक प्रणाली तैयार करनी चाहिए :

ए) दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि से अधिक मूल्य के सभी नकदी लेनदेन ;

बी) दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि से कम मूल्य के एक दूसरे से संबद्ध सभी नकदी लेनदेनों की श्रृंखला, जब श्रृंखला के सभी लेनदेन एक महीने के भीतर किये गये हों और ऐसे लेनदेनों का समग्र मूल्य रूपये दस लाख से अधिक हो;

सी) गैर-लाभ अर्जक संगठनों द्वारा प्राप्त समस्त लेनदेनों का मूल्य जहाँ दस लाख रूपये अथवा उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा में हो [12 नवंबर 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना – धन शोधन निवारण नियमावली के नियम 3, उप-नियम (1) के खंड (बीए) के मद्देनजर।]

डी) ऐसे सभी नकदी लेनदेन जहाँ जाली या नकली करेंसी नोट अथवा बैंक नोटों का प्रयोग मौलिक की जगह हुआ हो और जहाँ लेनदेनों को सुगम बनाने के लिए किसी मूल्यवान प्रतिभूति या दस्तावेज का प्रयोग जालसाज़ी के लिए किया गया हो; और

ई) नकदी में और नियमों में उल्लेख किये गये रूप में अथवा न किये गये सभी संदेहास्पद लेनदेन।

(ii) परिरक्षित की जानेवाली जानकारी

प्राधिकृत व्यक्तियों को निम्नलिखित जानकारी सहित नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में जानकारी रखनी आवश्यक है ताकि एकल लेनदेनों को पुनः संरचित किया जा सके :

- ए. लेनदेनों का प्रकार ;
- बी. लेनदेन की राशि और वह किस मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत थी ;
- सी. लेनदेन किस तारीख को किये गये; और
- डी. लेनदेन से संबद्ध पार्टियाँ

(iii) रिकॉर्ड का रखरखाव और परिरक्षण

ए) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को उपर्युक्त नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में रिकॉर्ड रखने सहित सभी लेनदेनों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को लेनदेन संबंधी जानकारी के उचित रखरखाव और परिरक्षण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए यथोचित कदम उठाने चाहिए कि जब कभी आवश्यकता पड़े अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वे मांगे जाएं तो डाटा सहजता और शीघ्रता से उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को प्राधिकृत व्यक्ति और ग्राहक के बीच निवासियों और अनिवासियों दोनों के साथ किये गये लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकॉर्ड लेनदेन की तारीख से न्यूनतम **पांच वर्ष 6** के लिए रखे जाने चाहिए, जो व्यक्तिगत लेनदेनों (निहित राशियाँ और मुद्रा के प्रकार, यदि कोई हों, के सहित) का पुनर्निर्माण कर सकेंगे, जिससे उस रिकॉर्ड को यदि आवश्यक हो तो आपराधिक कार्यकलाप में संलिप्त व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों(भारतीय एजेंटों) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेनदेन करते समय और व्यवसाय संबंध की अवधि के दौरान प्राप्त किये गये ग्राहक और उसके पते की पहचान से संबंधित रिकॉर्ड (अर्थात पारपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड, उपयोगिता बिल, आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतियाँ) लेनदेन/व्यवसाय संबंध की समाप्ति से कम से कम **पांच वर्ष** के लिए यथोचित रूप से परिरक्षित किये जाते हैं। पहचान संबंधी रिकॉर्ड और लेनदेन के आंकड़े मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध किये जाने चाहिए।

सी) इस परिपत्र के पैराग्राफ 4.6 में, प्राधिकृत व्यक्तियों(भारतीय एजेंटों) को सूचित किया गया है कि सभी जटिल, असामान्य बड़े लेनदेन और लेनदेनों के सभी असामान्य पैटर्न, जिसका कोई प्रथमदृष्ट्या आर्थिक अथवा

प्रत्यक्ष वैध प्रयोजन नहीं है, पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे लेनदेनों से संबंधित सभी दस्तावेज/कार्यालय रिकॉर्ड/ज्ञापन सहित पृष्ठभूमि और उसके प्रयोजन की यथासंभव जांच की जानी चाहिए और शाखा तथा प्रधान अधिकारी के स्तर पर पाये गये निष्कर्ष यथोचित रूप से रिकॉर्ड किये जाने चाहिए। ऐसे अभिलेख और संबंधित दस्तावेज, लेखा-परीक्षकों को लेनदेनों की छान-बीन से संबंधित उनके दैनिक कार्य में सहायक होने के लिए और रिज़र्व बैंक /अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध किये जाने चाहिए। इन रिकॉर्डों को पांच वर्ष के लिए परिरक्षित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और समय समय पर यथा संशोधित, धन शोधन निवारण (लेनदेनों के प्रकार और मूल्य के रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखने की क्रियाविधि और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियाँ, वित्तीय संस्थाएं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्डों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 के तहत आवश्यक है।

(iv) वित्तीय आसूचना ईकाई -भारत को रिपोर्टिंग

ए) धन शोधन निवारण नियमावली के अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों से संबंधित जानकारी निदेशक, वित्तीय आसूचना ईकाई- भारत को निम्नलिखित पते पर रिपोर्ट करना आवश्यक है :

निदेशक

वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत(एफआइयु-आइएनडी)

6ठी मंजिल, हॉटेल सम्राट

चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली-110021

वेबसाइट - <http://fiuindia.gov.in/>

बी) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को सभी रिपोर्टिंग फॉर्मों का अध्ययन करना चाहिए। खंड III में दिये गये ब्योरे के अनुसार कुल मिलाकर चार रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं अर्थात i) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर); ii) इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्ट्रक्चर-सीटीआर; iii) संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर); iv) इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्ट्रक्चर-एसटीआर। रिपोर्टिंग फॉर्मों में समेकन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश और वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत(एफआइयु-आइएनडी) को रिपोर्टों की प्रस्तुति की पद्धति /क्रियाविधि दी गयी है। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे वित्तीय आसूचना ईकाई - भारत(एफआइयु-आइएनडी) को सभी प्रकार की रिपोर्टों का इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए अविलंब कदम उठायें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइल्स और उसका डाटा स्ट्रक्चर संबंधित फॉर्मों के अनुदेश भाग में प्रस्तुत किये गये हैं।

सी) इस परिपत्र के पैराग्राफ 4.3(बी) में निहित अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को प्रत्येक ग्राहक के लिए जोखिम वर्गीकरण पर आधारित प्रोफाइल तैयार करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त,

पैराग्राफ 4.6 के जरिये, जोखिम वर्गीकरण की आवधिक पुनरीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अतः यह दोहराया जाता है कि लेनदेन निगरानी व्यवस्था के एक भाग के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों(भारतीय एजेंटों) को यथोचित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार/स्थापित करना आवश्यक है ताकि जब जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल से लेनदेन मेल न खाए (के साथ सुसंगत न हो), तब सॉफ्टवेयर चेतावनी संकेत दे दे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संदेहास्पद लेनदेन पहचानने और उसकी रिपोर्टिंग करने हेतु सावधान करनेवाला रोबस्ट(सक्षम) सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है।

4.13 नकदी और संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट

ए) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

जबकि सभी प्रकार की रिपोर्टों की फाइलिंग के लिए विस्तृत अनुदेश संबंधित फॉर्मेटों के अनुदेश भाग में दिये गये हैं, प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को अत्यंत सावधानी से निम्नलिखित का पालन करना चाहिए :

i) प्रत्येक महीने के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अनुवर्ती महीने की 15 तारीख तक एफआइयु-आइएनडी को प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः शाखाओं द्वारा उनके नियंत्रणकर्ता कार्यालयों को नकदी लेनदेन रिपोर्ट अनिवार्यतः मासिक आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक महीने के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) वित्तीय आसूचना इकाई – भारत (एफआईयु - आरएनडी) को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाती है।

ii) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) फाइल करते समय, 50,000 रुपये के नीचे के वैयक्तिक लेनदेन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

iii) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) में प्राधिकृत व्यक्ति के आंतरिक खाते में किये गये लेनदेनों को छोड़कर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से किये गये लेनदेनों का ही समावेश होना चाहिए।

iv) समग्र रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति के प्रधान अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष (फिजिकल) रूप में प्रत्येक महीने में तैयार की जानी चाहिए। उक्त रिपोर्ट प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए और एफआइयु-इंडिया को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

v) यदि प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंटों) द्वारा शाखाओं के लिए नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) उनके सेंट्रल डाटा सेंटर स्तर पर केंद्रीकृत रूप से तैयार की गयी हो तो प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को एफआइयु-इंडिया को आगे के प्रेषण के लिए एक जगह पर केंद्रीय कंप्यूटरीकृत वातावरण के तहत शाखाओं के संबंध में केंद्रीकृत नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तैयार करनी चाहिए, बशर्ते:

ए) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) इस परिपत्र के पैराग्राफ 4.12 (iv)(बी) में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार की जाती है।

बी) उनकी (शाखा की) ओर से एफआइयू-इंडिया को प्रस्तुत किये गये मासिक नकदी लेनदेन संबंधी रिपोर्ट (सीटीआर) की प्रति लेखा-परीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए संबंधित शाखा में उपलब्ध रहती है।

सी) इस परिपत्र के क्रमशः पैराग्राफ 4.12(i), (ii) और (iii) में उपर्युक्त में निहित किये गये अनुसार लेनदेनों के रिकॉर्डों का रखरखाव, परिरक्षित की जानेवाली जानकारी और रिकॉर्डों का रखरखाव और परिरक्षण संबंधी अनुदेशों का शाखा द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

तथापि, केंद्रीय कंप्यूटरीकृत वातावरण के तहत न आनेवाली शाखाओं के संबंध में मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तैयार की जानी और शाखा द्वारा प्रधान अधिकारी को एफआइयू-इंडिया को आगे के प्रेषण के लिए प्रेषित करना जारी रखा जाना चाहिए।

बी) संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

i) संदेहास्पद लेनदेनों का निर्धारण करते समय, प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) को, समय-समय पर, यथा संशोधित धन शोधन निवारण नियमावली में निहित संदेहास्पद लेनदेन की परिभाषा द्वारा दिशा-निर्देशित हों।

ii) यह संभव है कि कुछ मामलों में लेनदेन, ग्राहकों द्वारा कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पूछे जाने पर परित्यक्त/निष्फल होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में ऐसे लेनदेनों की राशि पर ध्यान दिये बिना ग्राहकों द्वारा पूर्ण न किये जाने पर भी सभी प्रयासगत लेनदेन सूचित करने चाहिए।

iii) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को, यदि उनके पास विश्वास का यह उचित आधार है कि प्रयासगत लेनदेन सहित लेनदेनों में, लेनदेन की राशि पर ध्यान दिये बिना, अपराध की राशि निहित है और/अथवा धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग बी में वर्णित अपराध निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक सीमा परिकल्पित है तो संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) तैयार करनी चाहिए।

iv) नकदी अथवा गैर-नकदी के प्रयासगत लेनदेन सहित लेनदेन, अथवा एकीकृत रूप से संबद्ध लेनदेनों की श्रृंखला संदेहास्पद स्वरूप की है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर 7 दिनों के भीतर संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रधान अधिकारी को किसी लेनदेन अथवा लेनदेनों की श्रृंखला संदेहास्पद लेनदेन के रूप में मानने के लिए अपने कारण रिकॉर्ड करने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी

शाखा अथवा किसी अन्य कार्यालय से एक बार संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विलंब नहीं होता है। ऐसी रिपोर्ट मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध की जानी चाहिए।

v) स्टाफ के बीच अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण जागरूकता निर्माण करने के संबंध में और संदेहास्पद लेनदेनों के लिए सचेत करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति संदेहास्पद कार्यकलापों की निम्नलिखित निदर्शी सूची पर विचार करें।

कुछ संभाव्य संदेहास्पद कार्यकलाप निदर्शक नीचे दिये गये हैं:

- ग्राहक तुच्छ आधार पर व्योरे/ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक है।
- लाभाधिकारी की पहचान संरक्षित करने अथवा उनकी सहभागिता छुपाने के लिए लेनदेन एक अथवा अधिक मध्यस्थों/मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा की जाती है।
- धन विप्रेषणों की बहुत बड़ी राशि।
- लेनदेनों का आकार और बारंबारता ग्राहक के सामान्य व्यवसाय से उच्च है।

उपर्युक्त सूची केवल निदर्शी है और न कि सर्वसमावेशक है।

vi) प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को ऐसे लेनदेनों पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए जहां संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की गयी है। साथ में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकृत व्यक्तियों के कर्मचारी इस प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने का तथ्य अत्यंत गोपनीय रखेंगे और किसी भी स्तर पर ग्राहक को संकेत नहीं देंगे।

4.14 ग्राहक शिक्षा/कर्मचारियों का प्रशिक्षण/कर्मचारियों का नियोजन

ए) ग्राहक शिक्षा

अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि के कार्यान्वयन की अपेक्षा है कि प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) ग्राहक से कुछ जानकारी मांगे जो वैयक्तिक प्रकार की हो अथवा इसके पहले कभी मांगी न गयी हो। इस प्रकार की जानकारी जमा करने के उद्देश्य और प्रयोजन के संबंध में ग्राहक द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) को विशिष्ट साहित्य/पुस्तिका, आदि तैयार करने की आवश्यकता है जिससे अपने ग्राहक को जानिये कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में ग्राहक को शिक्षित किया जा सके। ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए फ्रंट डेस्क स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

बी) कर्मचारी प्रशिक्षण

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) को कर्मचारियों के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिससे स्टाफ सदस्य धन शोधन निवारण से संबंधित नीतियों, क्रियाविधियों और धन शोधन निवारण अधिनियम

के प्रावधानों के संबंध में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो सकें और धनविप्रेषण के बहाने कोई संदेहास्पद कार्य नहीं किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए वे सभी लेनदेनों पर निगरानी रखने की आवश्यकता को महसूस करेंगे। फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नये ग्राहकों के साथ कार्य करने वाले स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होंगी। यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित अपने ग्राहक को जानने संबंधी नीतियों के पीछे का तर्काधार समझें और लगातार उनका कार्यान्वयन करें। जब स्टाफ के सामने कोई संदेहास्पद लेनदेन (जैसे निधियों के स्रोत के संबंध में प्रश्न पूछना, पहचान दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करना, प्रधान अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करना, आदि) होता है तो की जानेवाली कार्रवाई प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए और यथोचित क्रियाविधि निर्धारित की जानी चाहिए। धन शोधन निवारण उपायों के लगातार कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।

सी) कर्मचारियों का नियोजन

यह समझना चाहिए कि अपने ग्राहक को जानिये मापदंड/ धन शोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध के उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किये गये हैं कि अपराधी वर्ग, धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत धन अंतरण प्रणाली का दुरुपयोग न कर सकें। अतः यह आवश्यक होगा कि प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों की भर्ती/नियोजन प्रक्रिया के अविभाज्य भाग के रूप में पर्याप्त स्क्रीनिंग व्यवस्था की जाए।

टिप्पणी : (i) भारत सरकार ने, भारत में धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण के आकलन, राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी रणनीति और संस्थागत ढाँचे की स्थापना के लिए धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषणगत जोखिम के आकलन पर एक राष्ट्रीय धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषणगत जोखिम के आकलन हेतु समिति गठित की है। धन शोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी जोखिमों का आकलन सक्षम प्राधिकारियों और विनियमित कंपनियों दोनों को धन शोधन/आतंकवाद का प्रतिरोध करने के लिए जोखिम आधारित रख अख्तियार करके आवश्यक उपाय करने में मददगार होता है। यह संसाधनों के न्यायसंगत और प्रभावी आबंटन में मदद करता है तथा एएमएल/सीएफटी तंत्र को जोखिम से उबरने में अधिक सक्षम बनाता है। समिति ने जोखिम आधारित रख अपनाने, जोखिम के आकलन और ऐसी प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है जो किए गए आकलन का उपयोग धन शोधन/आतंकवाद का प्रतिरोध करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु करेगी। समिति की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा अब स्वीकार कर ली गयी हैं और उन्हें लागू करने की जरूरत है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) उल्लिखित पैरा 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त ग्राहक, देश और भूभाग के लिए तथा उत्पादों/सेवाओं/लेनदेनों/डिलिवरी चैनलों के लिए धन शोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण से उत्पन्न हो सकने वाले जोखिमों की पहचान एवं आकलन करने के लिए कदम उठाएं। प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) इस संबंध में अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियाँ, नियंत्रण और प्रक्रियाएं अपनाएं ताकि वे ऊपर वर्णित जोखिम आधारित रख अपनाकर ऐसे जोखिमों को प्रबंधित तथा कम कर सकें। परिणामतः प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) से अपेक्षित होगा कि वे मध्यम या उच्च जोखिमगत श्रेणी के अनुसार उत्पाद, सेवाओं

और ग्राहकों के बाबत बढे हुए उपाय लागू करें। लेनदेनों की जोखिम आधारित निगरानी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) अपने कार्यों के अनुसार जोखिम मानदण्ड निरूपित करें जो स्वयं के जोखिमों के आकलन में उनकी मदद करेंगे।

(ii) अपने ग्राहक को जानिये / धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी उपर्युक्त दिशा-निर्देश धन अंतरण सेवा योजना के तहत यथोचित परिवर्तनों सहित भारतीय एजेंटों के सभी उप-एजेंटों पर भी लागू होंगे और प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) की यह सुनिश्चित करने की अकेले की जिम्मेदारी होगी कि उनके उप-एजेंट भी इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि
सत्यापित की जानेवाली विशेषताएं और
ग्राहकों से प्राप्त किये जानेवाले दस्तावेज

विशेषताएं	दस्तावेज
वैध नाम और उपयोग किया गया कोई अन्य नाम	(i) पारपत्र (ii) पैनकार्ड (iii) मतदाता पहचान कार्ड (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र (प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के अधीन) (vi) प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि हेतु ग्राहक की पहचान और निवास का सत्यापन करते हुए किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी अथवा सरकारी सेवक से पत्र (vii) यूआईडीएआई द्वारा जारी कागजी आधार कार्ड/पत्र (viii) यूआईडीएआई की ई-केवायसी सेवा ⁷
सही स्थायी पता	(i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) इलेक्ट्रीसिटी बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के अधीन) (vii) यूआईडीएआई द्वारा जारी कागजी आधार कार्ड/पत्र (viii) यूआईडीएआई की ई-केवायसी सेवा {दस्तावेजों में से कोई एक, जो प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) की संतुष्टि के लिए ग्राहक संबंधी जानकारी देता है } <i>टिप्पणी:- यदि भावी ग्राहक द्वारा प्रस्तुत पहचान साक्ष्य संबंधी दस्तावेज में दिया गया पता वही हो जिसे ग्राहक ने घोषित किया है, तो उसी दस्तावेज को पहचान और पते दोनों के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यदि पहचान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज में दिया गया पता ग्राहक द्वारा घोषित उसके वर्तमान पते से भिन्न हो, तो पते के लिए अलग से साक्ष्य प्राप्त किया जाए।</i>

⁷ 21 जुलाई 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.10

खंड - III

विभिन्न रिपोर्टों और उनके फॉर्मेटों की सूची

1. नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)
2. इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्ट्रक्चर-सीटीआर
3. संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)
4. इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्ट्रक्चर-एसटीआर

टिप्पणी: एफआईयू-आईएनडी ने अब यह सूचित किया है कि go live तारीख 20 अक्टूबर 2012 है और यह कि प्राधिकृत व्यक्ति जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट है वे 20 अक्टूबर 2012 के बाद सीडी फॉर्मेट में रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण बंद कर दें और नये XML रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रिपोर्टों को अपलोड करने के लिए केवल FINnet gateway का ही इस्तेमाल करें। 20 अक्टूबर 2012 के बाद सीडी फॉर्मेट में प्रस्तुत रिपोर्ट एफआईयू-आईएनडी द्वारा वैध प्रस्तुतीकरण नहीं समझी जाएगी।

भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. 12 (2013) द्वारा धन शोधन निवारण नियमावली में संशोधनों के किए जाने और संशोधित नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग एंटीटी से अपेक्षित है कि वह सभी लेनदेनों, जिनमें रु.5 लाख अथवा उसके समतुल्य से अधिक के विदेशी मुद्रा में किए गए क्रॉस बार्डर वायर अंतरण शामिल हैं जहां ओरिजिन अथवा गंतव्य स्थान भारत है, से संबंधित सभी अभिलेख अनुरक्षित रखे। एफआईयू-आईएनडी ने सूचित किया है कि ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए। एफआईयू-आईएनडी द्वारा 'लेनदेन आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट' पहले ही विकसित किया गया है और उसका प्रयोग 'नकदी लेनदेन रिपोर्ट' (CTRs), 'संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट' (STRs) और 'गैर-लाभ संगठनों के लेनदेनों की रिपोर्टिंग' (NTRs) करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसे ही क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर्स की रिपोर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। यह सूचना एफआईयू-आईएनडी द्वारा विकसित फिननेट माड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाए। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे एफआईयू-आईएनडी की अपेक्षानुसार कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि रिपोर्टें शेड्यूल के अनुसार समय से प्रस्तुत की जाएं।⁸

⁸ 25 अप्रैल 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.125

धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंटों के उप एजेंटों के लिए फार्मेट

1.	उप एजेंट का नाम	
2.	उप एजेंट की श्रेणी (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/डाक विभाग/पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/अन्य)	
3.	टेलिफोन नंबर/नंबरों, फैक्स नंबर/नंबरों तथा ई-मेल पतों सहित पंजीकृत/कापोरेट/प्रशासनिक कार्यालय का पता	
4.	पंजीयक का नाम	
5.	पंजीकरण नंबर	
6.	पंजीकरण के ब्योरे (संलग्नक-IIए के अनुसार कागजात अनुलग्न करें)	
7.	पैन नंबर (संलग्नक -IIए के अनुसार प्रति)	
8.	बैंकर का नाम/बैंकरों के नाम तथा बैंक खाता संख्या (संलग्नक -IIए के अनुसार अनुलग्नक)	
9.	10% से अधिक ईक्विटी होल्डिंग वाले प्रत्येक प्रवर्तक का ब्योरा (नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक हित, पैन नंबर)	
10.	प्रदत्त पूँजी रुपये में और शेयरों की संख्या	
11.	किस सनदी लेखाकार द्वारा खाते प्रमाणित किए गए? ब्योरा दे (संलग्नक -IIए के अनुसार अनुलग्नक)	
12.	क्या फौजदारी/आर्थिक अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया/दोष-सिद्ध करार दिया गया (संलग्नक -IIए के अनुसार अनुलग्नक)	
13.	क्या उप एजेंट प्रमाणपत्र की तारीख को ऋण शोधन क्षमता रखता है?	
14.	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्योरे (नाम, पदनाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, पैन नंबर, किसी अन्य कंपनी/कंपनियों के नाम जिसमें/जिनमें व्यक्ति कोई पद धारण किए है/हैं, कंपनी में ईक्विटी शेयरधारिता का ब्योरे, यदि कोई हो,) (संलग्नक-IIए के अनुसार अनुलग्नक)	

टिप्पणी: उक्त क्रमांक 9 के संबंध में, उप एजेंट के स्वामित्व का ब्योरा ईक्विटी होल्डिंग के अंतिम (last layer) धारक तक के व्यक्ति/संस्था के नाम का उल्लेख करते हुए दिया जाए जो कंपनी में लाभार्थी हित का स्वामित्व रखता है/रखती है।

दिनांक: सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर

स्थान: प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

दस्तावेजों की सूची जिनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं

1. निगमन प्रमाणपत्र
2. संस्था के बर्हिनीयम (अद्यतन) और अंतर्नीयम
3. धन अंतरण कार्य करने, इसके लिए आवेदन पत्र और संबंधित विषयवस्तु प्रस्तुत करने, जिसमें आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना शामिल है, हेतु बोर्ड का संकल्प।
4. सहयोगियों, समूह कंपनियों, आदि का ब्योरा।
5. निदेशक/निदेशकों के पैन कार्ड ।
6. बैंक खाते का ब्योरा और बैंकों से बंद लिफाफे में गोपनीय रिपोर्टें।
7. निवल स्वाधिकृत निधियों को प्रमाणित करने वाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र।
8. पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे संबंधी विवरण।
9. आगामी तीन वर्ष के लिए कारोबारी योजना।
10. स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से आचरण प्रमाणपत्र।
11. कंपनी अथवा उसके निदेशकों के पिछले आपराधिक मामले, किसी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध प्रारंभ किए गए/लंबित मामलों से संबंधित घोषणा पत्र।
12. निदेशकों और मुख्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ।
13. प्रबंधन के संबंध में सूचना।
14. शाप ऐण्ड इस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट/अन्य म्युनिसिपल सर्टिफिकेट।

---- ----को समाप्त तिमाही के दौरान धन अंतरण सेवा योजना के जरिये प्राप्त विप्रेषणों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

भारतीय एजेंट का नाम-----

विदेशी प्रधान अधिकारी का नाम	प्राप्त विदेशी मुद्रा की कुल राशि (अमरीकी डॉलर में)	समतुल्य रूपये में राशि

टिप्पणी : यह विवरण जिस तिमाही के संबंध में है उस तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

भारतीय एजेंटों द्वारा रखे गये संपार्श्विक का विवरण

भारतीय एजेंट का नाम-----

विदेशी प्रधान अधिकारी का नाम	पिछले 6 महीनों के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा की कुल राशि अमरीकी डॉलर में	धारित संपार्श्विक की राशि अमरीकी डॉलर में	विभिन्न रूपों में रखी गयी संपार्श्विक (विदेशी मुद्रा जमा /बैंक गारंटी)	संपार्श्विक की पर्याप्तता की पिछली पुनरीक्षा टिप्पणी के साथ

टिप्पणी: यह विवरण प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के अंत में धारित संपार्श्विक के बारे में संबंधित अर्ध वर्ष की समाप्ति के अनुवर्ती 15 दिनों के भीतर विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।

इस मास्टर परिपत्र में धन अंतरण सेवा योजना पर समेकित किये गये परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना/परिपत्र	तारीख
1	धन अंतरण सेवा योजना पर अधिसूचना	4 जून 2003
2	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 18 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 05]	27 नवंबर 2009
3	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 02]	25 नवंबर 2010
4	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 21 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 04]	30 नवंबर 2010
5	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 05]	13 दिसंबर 2010
6	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 26 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 07]	22 दिसंबर 2010
7	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 09]	22 दिसंबर 2010
8	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 50 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 12]	6 अप्रैल 2011
9	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 52 [ए.पी.(एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 14]	6 अप्रैल 2011
10	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 62	16 मई 2011
11	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 64	20 मई 2011
12	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 66	20 मई 2011
13	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 22	19 सितंबर 2011
14	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 24	19 सितंबर 2011
15	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 78	15 फरवरी 2012
16	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 87	29 फरवरी 2012
17	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 108	17 अप्रैल 2012
18	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 132	8 जून 2012
19	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 49	7 नवंबर 2012
20	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 67	2 जनवरी 2013
21	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 71	10 जनवरी 2013
22	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 73	10 जनवरी 2013
23	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 89	12 मार्च 2013
24	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 102	3 मई 2013
25	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 35	4 सितंबर 2013

26	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.110	4 मार्च 2014
27	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 125	25 अप्रैल 2014
28	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 144	16 जून 2014
29	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 150	25 जून 2014